

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10, 1939)

**THE UNITED PROVINCES INDIAN
MEDICINE ACT, 1939**

(U.P. Act No. X of 1939)

संयुक्त प्रान्त [भारतीय चिकित्सा]¹ अधिनियम, 1939²

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10, 1939]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1955

उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1956

उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1957

उ० प्र० अधिनियम संख्या 42, 1958

उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1975

उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1991

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1994

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2015

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 12 सितम्बर, 1939 को स्वीकृति प्रदान की तथा दिनांक 23 सितम्बर, 1939 को प्रकाशित हुआ ।

संयुक्त प्रान्त में ¹[आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों] के विकास की व्यवस्था करने तथा उनके व्यवसाय को विनियमित करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि ¹[आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों] के विकास की व्यवस्था की जाय ³[और] उनका व्यवसाय विनियमित किया जाय ⁴[* * *] ;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

भाग—1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 कहलाएगा ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट 1938, भाग 8, पृष्ठ 1231 देखियें ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 2 (क) द्वारा शब्द (और) प्रतिस्थापित ।

4. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा निकाले गये ।

(2) इसका विस्तार¹ देहरादून जिले के जौनसार बाबर परगने के सिवाय और मिर्जापुर जिले के उस भाग के सिवाय जो कैमूर पहाड़ियों के दक्षिण में है, सम्पूर्ण² [उत्तर प्रदेश] में होगा ;

(3) इस अधिनियम के भाग 1 तथा 2 ऐसे³ [दिनांक] से प्रवृत्त होंगे जिसे⁴ [राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। भाग 3 जिस दिनांक को भाग 1 और 2 प्रवृत्त हो जायें, उस दिनांक से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसे³ [दिनांक] से प्रवृत्त होगा जिसे⁴ [राज्य सरकार] धारा 49 के अधीन अधिसूचित करे ।

भाग — 2

2—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में,—

परिभाषायें

1. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है प्रवृत्त किया गया है ;

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत विस्तार किया गया	विज्ञप्ति यदि कोई हो जिनके अंतर्गत प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1— जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	संख्या 108/सत्रह 345—49, दि० 19 जनवरी, 1952, 1952 के गजट में भाग 1, पृष्ठ 70 पर	26 जनवरी, 1952
2— बनारस जिले का वह भाग जो भूतपूर्व बनारस राज्य में सम्मिलित था	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	संख्या 106/सत्रह 204—50, दि० 19 जनवरी, 1952, 1952 के गजट में भाग 1, पृष्ठ 70 पर	तदैव
3— जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी—गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	संख्या 107/सत्रह 344—49, दि० 19 जनवरी, 1952, 1952 के गजट में खंड 1, पृष्ठ 70 पर	तदैव

2. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. इस अधिनियम के भाग 1 और 2 दिनांक 1 अक्टूबर, 1946 को प्रवृत्त हुए, दिनांक 15 जून, 1946 के गजट भाग 11 पृष्ठ 219 में अधिसूचना संख्या 2414/पांच 94—46, दिनांक 12 जून, 1946 देखियें ।
4. इस अधिनियम के भाग—3 की धारयें 49, 53, 55 तथा 56 भूतपूर्व बनारस, रामपुर, टीहरी गढ़वाल राज्यों के क्षेत्रों तथा देहरादून जिले के जौनसार बाबर के भूतपूर्व असम्मिलित क्षेत्रों और मिर्जापुर जिले की कैमूर पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 1 मार्च, 1952 से प्रवृत्त हुई, दिनांक 8 मार्च, 1952 के गजट भाग 1, पृष्ठ 212 में अधिसूचना संख्या 3297—बी—1/पांच—1069—51, दिनांक 5 मार्च, 1952 देखियें ।

(1) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित ¹[आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] बोर्ड, [उत्तर प्रदेश]² से है ।

(2) "आयुर्वेदिक तथा यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति" का तात्पर्य आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति से है, चाहे उसकी अनुपूर्ति ऐसे आधुनिक प्रगतिशील तरीकों द्वारा की गयी हो या नहीं जिन्हें बोर्ड ने समय-समय पर अवधारित किया हो ।

(3) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है ।

³[(3-क) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(3-ख) "संकाय" का तात्पर्य धारा 36-क के अधीन संघटित "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति संकाय" से है ।]

(4) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है ।

⁴[(4-क) "अनुचिकित्सीय पाठ्यक्रम" का तात्पर्य आयुर्वेदिक अथवा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति और शल्य कर्म में कम्पाउन्डरों, नर्सों तथा धात्रियों के प्रशिक्षण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से है ;]

(5) "चिकित्सा-व्यवसायी" का तात्पर्य ¹[आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] के चिकित्सा-व्यवसायी से है ।

(6) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ⁵[राज्य सरकार] द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ।

(7) "रजिस्टर" का तात्पर्य धारा 25 के अधीन बैद्यों और हकीमों के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रजिस्टर से है ।

(8) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से है जिसका नाम रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट हो ।

(9) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है ।

(10) "वैद्य" का तात्पर्य आयुर्वेदिक चिकित्सा ⁵[तथा शल्य कर्म] पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी से है ।

(11) "हकीम" का तात्पर्य यूनानी तिब्बी चिकित्सा ⁵[तथा शल्य कर्म] पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी से ।

(12) 6[* * * *]

(13) 6[* * * *]

3- इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ

बोर्ड की
स्थापना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।

4. मूल रूप से हिन्दी पारित उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 1975 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (ख) तथा (ग) द्वारा शब्द (ऐण्ड सर्जरी) बढ़ाया गया ।

6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 4 (घ) द्वारा निकाला गया ।

¹[राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड धारा 5 की उपधारा (1) में उपबन्धित रीति से स्थापित करेगी जो आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड ² [उत्तर प्रदेश] कहलायेगा। वह बोर्ड निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

4—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रथम बोर्ड के संघटित होने के दिनांक को विद्यमान भारतीय चिकित्सा बोर्ड अस्तित्वहीन हो जायगा और उसकी समस्त आस्तियां तथा दायित्व इस प्रकार संघटित बोर्ड की न्यायगत हो जायेंगे ।

विद्यमान बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों के लिये व्यावृत्तियां और उसका विघटन

(2) प्रथम बोर्ड के संघटन के दिनांक को विद्यमान भारतीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रारम्भ या पूरे किये गये समस्त कार्य, जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध इस अधिनियम के अधीन संघटित बोर्ड को आवंटित कृत्यों से है, इस अधिनियम के अधीन संघटित बोर्ड द्वारा प्रारम्भ या पूरे किये गये समझे जायेंगे, और ऐसे कार्य इस प्रकार संघटित बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन, जारी रखे और पूरे किये जा सकेंगे ।

³[5— (1) बोर्ड में अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य होंगे : —

बोर्ड का संघटन

(1) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा ;

(2) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ;

⁴[(3) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय से जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संकाय हो, एक-एक सदस्य जिन्हें विहित रीति के ऐसे संकाय द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।

(4) उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किये जायेंगे ;

(5) उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किया जायेगा ।]

(6) नौ सदस्य (छः वैद्य तथा तीन हकीम) जो विहित रीति से, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रीकृत क्रमशः वैद्यों तथा हकीमों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष तथा खण्ड (2), (4) और (5) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित अथवा नाम निर्देशित किया जाने वाला प्रत्येक सदस्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से होगा ।

(2) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा ।]

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविशियल) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

6—यदि धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाय उस दिनांक तक जो विहित किया जाय, अपेक्षित संख्या में ऐसे सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन नहीं करता जिसे या जिन्हें निर्वाचित करने का वह हकदार है, तो ¹[राज्य सरकार] ऐसी रिक्ति या रिक्तियों की पूर्ति उसी सम्बद्ध निर्वाचन निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिए अर्ह व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम निर्देशन द्वारा करेगी ।

निर्वाचन करने में चूक किये जाने पर सदस्यों का नाम निर्देशन

7—कोई ऐसा व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्देशित किये जाने के लिये अर्ह न होगा —

सदस्यता के लिये अनर्हतायें

(क) जो अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ख) जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त या विकृत चित्त निर्णीत हुआ हो ;

(ग) जो ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो जिसे राज्य सरकार द्वारा नैतिक पतन में अन्तर्वलित अपराध घोषित किया गया हो ;

(घ) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो ; या

(ङ) जो बोर्ड का कर्मचारी हो या जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या स्वयं या किसी भागीदार के द्वारा किसी ऐसी संविदा में कोई अंश या हित हो जो बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई हो, जब तक कि पश्चात् कथित दशा में राज्य सरकार ऐसी अनर्हता को न हटाये ।

8—बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के प्रत्येक निर्वाचन या नाम निर्देशन तथा सदस्य या अध्यक्ष के पद की प्रत्येक रिक्ति को सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायगा ।

निर्वाचनों, नाम निर्देशनों तथा रिक्तियों की अधिसूचनायें

9—2[बोर्ड के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन धारा 14 के अधीन, यथास्थिति, उनकी पदावधि या बढ़ाई गई पदावधि के समाप्त होने के पूर्व ऐसे दिनांक या दिनाकों को होगा जो राज्य सरकार उस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।]

सामान्य निर्वाचन

10—(1) यदि उस अवधि के दौरान जिसके लिये कोई सदस्य नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया हो —

सदस्य बने रहने के लिये निर्योग्यतायें

(क) वह बोर्ड की लगातार तीन साधारण बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहे ; या

(ख) उसमें धारा 7 में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई भी अनर्हता हो जाय ; या

(ग) वह विधि व्यवसायी होने के नाते बोर्ड के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, उपसंजात हो ; या

(घ) वह बोर्ड के अधीन कोई सेवायोजन प्राप्त कर ले या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या किसी भागीदार द्वारा किसी ऐसी संविदा में कोई अंश या हित अर्जित कर ले जो बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी हो ;

तो बोर्ड उसे सदस्यता से हटा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड इस उपधारा के अधीन किसी सदस्य को हटाने के पूर्व स्पष्टीकरण मांगेगा और उस पर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा ।

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविशियल) के लिये प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1955 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹[(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, भी अध्यक्ष या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य ऐसा नोटिस दिये जाने के पश्चात् जो विहित किया जाय, केवल राज्य सरकार द्वारा ही हटाया जा सकेगा।]

²[10-क-(1) जहाँ किसी भी कारण से तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटकर धारा 18 में व्यवस्थित गणपूर्ति से कम हो जाय, वहाँ राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को अतिक्रमित कर सकती है और ³[चार वर्ष] से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक तक के लिये, जो भी पहले हो, नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।]

नियंत्रक
नियुक्त करने
की सरकार
की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक की नियुक्ति होने पर —

(क) बोर्ड के समस्त सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेंगे ;

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति, यदि कोई हो, विघटित हो जायेंगी ;

(ग) निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश का छोड़कर संकाय के समस्त सदस्य (जिसके अन्तर्गत चेयरमैन भी हैं) पदारुढ़ नहीं रहेंगे और नियंत्रक उपर्युक्त निदेशक के साथ संकाय गठित करेंगे ;

(घ) बोर्ड, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सभी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य नियंत्रक में निहित होंगे और उनकी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन नियंत्रक द्वारा किया जायेगा और अवसर के अनुसार जैसा अपेक्षित हो, नियंत्रक को बोर्ड अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समझा जायेगा।

(3) नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने और उक्त उपधारा के खण्ड (3), (4), (5) और (6) के अधीन सदस्यों का निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही करेगी।

(4) जैसे ही धारा 18 के अधीन गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) की न्यूनतम संख्या की धारा 8 के अधीन यथास्थिति, चुनाव या नामांकन अधिसूचित कर दिया जाय, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकती है कि बोर्ड का पुनर्गठन हो गया है और तदपुरान्त नियंत्रक काम करना बन्द कर देगा।]

11- धारा 10 के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा हटाया गया कोई सदस्य, अपने हटाये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर ⁴[राज्य सरकार] को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर ⁴[राज्य सरकार] का आदेश अंतिम होगा।

बोर्ड में किसी
सदस्य तथा
अध्यक्ष को
हटाने की
राज्य सरकार
की शक्ति

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1991 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित।

¹[12—(1) कोई निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा । ऐसा त्यागपत्र, यथोचित सत्यापन के पश्चात् उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को वह बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाय ।

किसी सदस्य या अध्यक्ष का त्यागपत्र

(2) अध्यक्ष या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य जो अपना त्यागपत्र देना चाहे, बोर्ड को सूचित करते हुए राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र भेज सकेगा । ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत होने पर सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और उसमें अधिसूचित दिनांक से प्रभावी होगा ।]

13— (1) यदि बोर्ड के किसी सदस्य या अध्यक्ष की मृत्यु हो जाय या वह त्यागपत्र दे दे या किसी भी कारण से, यथास्थिति, सदस्य अथवा अध्यक्ष न रह जाय तो, इस प्रकार हुई रिक्ति उतनी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, यथास्थिति, नये निर्वाचन या नामनिर्देशिनी द्वारा भरी जायगी ।

सदस्य या अध्यक्ष के पद की हुई आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित या नामनिर्देशित किसी सदस्य या अध्यक्ष की पदावधि उस सदस्य या अध्यक्ष की पदावधि की शेष अवधि होगी जिसके स्थान पर वह इस प्रकार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचित सदस्य की दशा में, यदि रिक्ति छः महीने या इससे कम अवधि के लिये हो, तो बोर्ड यह निर्देश दे सकता है कि वह रिक्ति आगामी सामान्य निर्वाचन तक बिना भरे ही छोड़ दी जाए ।

14—जैसा कि इस भाग में अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी ;

सदस्य की पदावधि

²[प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष तथा समस्त सदस्यों की पदावधि समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकेगी कि बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न हो ।]

³[* * * *]

⁴[* * * *]

15—कोई सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

⁵[* * * *]

पदावरोही सदस्यों की पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता

16—बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में या किसी बैठक में पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई अनर्हता या उसके निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन में कोई त्रुटि, बोर्ड के किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही को, जिसमें उक्त व्यक्ति ने भाग लिया हो, दूषित करने वाली न समझी जायगी यदि ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने ऐसे कार्य या कार्यवाही में भाग लिया हो, अधिकांश व्यक्ति बोर्ड के यथाविधि अर्ह सदस्य हों ।

कार्यवाहियों की वैधता

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1955 की धारा 3 (क) द्वारा अंतर्विष्ट ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1958 की द्वितीय अनुसूची के आइटम 3 (2) द्वारा निकाला गया ।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।

17—(1) इस प्रयोजन के लिए ¹[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड, उस निमित्त संकल्प द्वारा, एक सलाहकार समिति किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगा जिसमें उसके अपने उतने सदस्य या उस प्रयोजन के लिए सहयोजित उतने बाहरी व्यक्ति या दोनो ही होंगे जितने वह विनिश्चित करे और वह एक संयोजक भी नियुक्त कर सकेगा जो ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । संयोजक की अनुपस्थिति में, समिति अपने सदस्यों में से किसी को भी इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित कर सकेगी ।

सलाहकार
समितियों
की स्थापना

(2) समिति की बैठक में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

(3) समिति की किसी बैठक में कोई कार्य उस दशा में सम्पादित नहीं किया जायगा जब उसमें दो या दो से कम सदस्य या समिति को संघटित करने वाले सदस्यों के एक चौथाई से कम सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, उपस्थित हों ।

²[18—बोर्ड की गणपूर्ति आठ सदस्यों से होगी, किन्तु उसके अधीन रहते हुए बोर्ड उनकी संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा :

बोर्ड की
बैठक के
लिए
गणपूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थगित बैठक में यदि पांच से अन्यून सदस्य उपस्थित हों तो मूल बैठक में गणपूर्ति के अभाव में स्थगित किया गया समस्त कार्य उसमें सम्पादित किया जा सकेगा ।]

19—(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा । दोनों के अनुपस्थिति होने पर, उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित करेंगे ।

बोर्ड की
बैठकों में
प्रक्रिया

(2) बोर्ड की बैठक में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का, बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

20—बोर्ड की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थान पर होगी और बोर्ड की प्रत्येक बैठक ऐसी रीति से बुलाई जाएगी जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय :

बोर्ड की
बैठक का
समय और
स्थान

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाये जाते, अध्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित पत्र द्वारा, पन्द्रह दिन का स्पष्ट नोटिस देकर, बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान तथा समय पर जिसे वह इष्टकर समझे, बुलाए ।

21— 3[* * * *]

22— (1) बोर्ड के सदस्यों को ऐसे यात्रिक और, अन्य व्ययों ⁴[X X X] का भुगतान किया जायगा, जो विहित किए जायें ।

व्ययों का
भुगतान

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा निकाली गयी ।

4. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा निकाले गये ।

(2) किसी भी सदस्य को कोई वेतन या विशेष वेतन नहीं मिलेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष विहित नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन, भत्ते तथा उपलब्धियों प्राप्त कर सकेगा ।

23—बोर्ड के समस्त अधिकारी और सेवक अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रक तथा पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे और उसके आदेशों का पालन करेंगे ।

अध्यक्ष की
नियंत्रण की
शक्ति

24—(1) बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार को नियुक्त करेगा जो बोर्ड का सचिव होगा । रजिस्ट्रार ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जायें । अध्यक्ष उससे समय-समय पर छुट्टी स्वीकृत कर सकेगा और उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा । रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए यथाविधि नियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार समझा जाएगा ।

बोर्ड के
रजिस्ट्रार
और अन्य
अधिकारी
तथा सेवक

(2) रजिस्ट्रार को नियुक्त करने, उसे दण्ड देने या उसे पद से हटाने का बोर्ड का कोई भी आदेश ¹[राज्य सरकार] के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधिकारियों और सेवकों की संख्या, उनके पदनाम तथा वेतन और भत्ते ¹[राज्य सरकार] के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक को दण्ड देने पदच्युत करने, सेवोनमुक्त करने और पद से हटाने का बोर्ड की शक्तियां ¹[राज्य सरकार] द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होंगी ।

(4) कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति, छुट्टी, पेंशन, तथा भविष्य निधि से सम्बन्धित समस्त प्रश्न उन नियमों से शासित होंगे जो ¹[राज्य सरकार] के इसी प्रास्थिति के सेवकों पर समान्यता लागू होते हैं ।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी अथवा सेवक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा ।

अधिनियम
सं० 45,
1860

25—² [रजिस्ट्रार] ³[उत्तर प्रदेश] में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले वैद्यों ²[तथा] हकीमों के रजिस्टर या रजिस्ट्रों की विहित प्रपत्र में रखेगा ।

रजिस्टर का
रखा जाना

26—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा बोर्ड के किन्हीं सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा, कि वह रजिस्टर रखें और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जिनका इस अधिनियम के अधीन या ¹[राज्य सरकार] द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार उसके द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित हो ।

रजिस्ट्रार का
कर्तव्य

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (प्रविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा दि युनाइटेड प्राविन्सेज के लिए प्रतिस्थापित ।

(2) रजिस्ट्रार रजिस्टर को यथाव्यवहार्य शुद्ध और अद्यवधिक रखेगा और उसमें समय-समय पर चिकित्सा व्यवसायियों के पते या अर्हताओं में हुए सारवान परिवर्तन प्रविष्ट करेगा । वह रजिस्टर से ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नाम भी हटा देगा जिनकी मृत्यु हो जाय जो इस प्रकार अर्ह न रहजायें ।

(3) ¹[राज्य सरकार] यह निदेश दे सकेगी कि अतिरिक्त अर्हताओं के सम्बन्ध में प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी फीस का, जो विहित की जाय, भुगतान न कर दिया जाय ।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार किसी भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को उस पते पर, जो रजिस्टर में प्रविष्ट हो, यह ज्ञात करने के लिए लिख सकेगा कि क्या उसने चिकित्सा व्यवसाय करना छोड़ दिया है या अपना निवास स्थान बदल दिया है और यदि उक्त पत्र का कोई उत्तर तीन मास के भीतर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत अनुस्मारक भेज सकेगा और यदि उक्त अनुस्मारक के भेजे जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उसका उत्तर न प्राप्त हो, तो वह उक्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड, यदि उचित समझे तो, उक्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट करने का निदेश दे सकेगा ।

² [27—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूची में उल्लिखित अर्हतायें रखता हो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट या उसके अधीन किए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का, जो विहित की जाय, चाहे एकमुश्त या कालिक रूप से, भुगतान करने पर रजिस्ट्रार को आवेदन देकर रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगा । पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर उसे विहित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना ।

रजिस्ट्रीकरण
के हकदार
व्यक्ति

(2) कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रार के उस आदेश से व्यथित हो जिससे रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करने से या कोई प्रविष्टि करने से इन्कार किया गया हो, इस प्रकार इन्कार किए जाने के नब्बे दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(3) बोर्ड विहित रीति से उस अपील की सुनवाई करेगा तथा उसका विनिश्चय करेगा ।

(4) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा अथवा रजिस्टर में कोई प्रविष्टि करने का आदेश दे सकेगा, यदि बोर्ड की राय में ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलती से की गयी थी या प्राप्त की गई थी या आवेदन को गलत ढंग से अस्वीकृत किया गया था ।]

28— यदि बोर्ड का समाधान हो जाय कि —

अनुसूची का
संशोधन

(क) भारत के किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा निगम, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई पदवी या उपाधि या प्रमाणित कोई अर्हता इस बात की पर्याप्त गारन्टी है कि ऐसी पदवी या उपाधि या अर्हता रखने वाले व्यक्ति को ऐसा ज्ञान या ऐसी प्रवीणता प्राप्त है जो ³[आयुर्वेदिक या यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति] के अनुसार दक्षतापूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित है, या

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (अविनिमल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसी पदवी, उपाधि या अर्हता यथापूर्वोक्त पर्याप्त गारन्टी नहीं है, तो बोर्ड निदेश दे सकेगा कि —

(1) खण्ड (क) में उल्लिखित दशा में ऐसी पदवी, उपाधि या अर्हता रखने से कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जो इस निमित्त विहित की जाय, अपना नाम, यथास्थिति, वैद्यों, हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा, या

(2) खण्ड (ख) में उल्लिखित दशा में ऐसी पदवी, उपाधि या अर्हता रखने से कोई व्यक्ति उस रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार न होगा ।

और तदुपरान्त इससे अनुबद्ध अनुसूची तदनुसार परिवर्तित की हुई समझी जाएगी ।

29—बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह ऐसे चिकित्सा निगम, परीक्षण निकाय या अन्य संस्थाओं के जो अनुसूची में सम्मिलित हों या सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हों, शासी निकाय या प्राधिकारियों से —

(क) ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां या अन्य जानकारी भेजने की मांग करे जिनकी बोर्ड, उनमें चिकित्सा, शल्य कर्म या धात्री कर्म के सम्बन्ध में दिए जाने वाले शिक्षण की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षा करे ; और

(ख) ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग करे जिनसे ऐसे चिकित्सा निगम, परीक्षण निकायों या अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त बोर्ड का सदस्य उपस्थित हो सके ।

30—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो वैद्यों या हकीमों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन दे, रजिस्ट्रार यह समाधान करेगा कि उसे अनुसूची में निर्दिष्ट कोई उपाधि, पदवी या अर्हता प्राप्त है, और वह रजिस्ट्रार को वह दिनांक सूचित करेगा जब उसने ऐसी उपाधि, पदवी या अर्हता जो उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की मांग करने का हकदार बनाती है, प्राप्त की हो और वह रजिस्ट्रार को कोई अन्य ऐसी जानकारी भी देगा जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षा करे ।

31—(1) बोर्ड रजिस्टर में किसी ऐसे वैद्य या हकीम का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा या उससे हटाने का आदेश दे सकेगा ।

(क) जिसे किसी 1[* * * *] दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जो 2[राज्य सरकार] द्वारा ऐसे नैतिक पतन में अन्तर्वर्तित अपराध घोषित किया गया हो, जिसके कारण रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करना या बनाए रखना अवांछनीय हो , या

(ख) जिसे बोर्ड ने या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत समिति ने ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें उसे अपने प्रतिवाद में सुनवाई का तथा या तो स्वयं अथवा काउन्सेल, वकील, प्लीडर या अटार्नी द्वारा उपस्थित होने का अवसर दिया गया हो और जो बोर्ड के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले

चिकित्सा
संस्थाओं से
जानकारी
मांगने की
बोर्ड की
शक्ति

रजिस्ट्रीकरण
के लिए
आवेदकों से
अपेक्षित
सूचना

रजिस्ट्रारों में
नाम प्रविष्ट
किए जाने का
प्रतिषेध करने
या उसे हटाने
का निदेश देने
आदि की बोर्ड
की शक्ति

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (इन ब्रिटिश इंडिया) निकाले गए ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से व्यावसायिक दुराचरण या अन्य निन्दनीय आचरण का दोषी पाया हो ।

(2) बोर्ड अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि समय बीतने या किसी अन्य कारण से उपधारा (1) में उल्लिखित निर्योग्यता का कोई प्रभाव नहीं रह गया है, यह निदेश दे सकेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, रजिस्टर में, यथास्थिति, प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट कर लिया जाय ।

32—(1) मृत्यु सम्बन्धी प्रत्येक रजिस्ट्रार, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिले जिसके नाम के बारे में उसे यह ज्ञात हो कि वह वैद्यों और हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, मृत्यु के समय तथा स्थान की विशिष्टतियां देते हुए, ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र बोर्ड के रजिस्ट्रार को डाक द्वारा या अन्यथा अविलम्ब भेजेगा ।

मृत्यु की सूचना और रजिस्ट्रारों से नामों का काटा जाना

(2) उक्त प्रमाण-पत्र या ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा देगा ।

33—यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम वैद्यों तथा हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट न हो, मिथ्या यह बहाना करेगा कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है या अपने नाम या पदवी के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करेगा जिनसे यह निरूपण हो कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है, तो वह चाहे ऐसा निरूपण करने से कोई व्यक्ति वास्तव में प्रवंचित हो या नहीं, प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर, ¹[कारावास से जो छः महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से,] दण्डनीय होगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने को रजिस्ट्रीकृत निरूपित करने पर शास्ति

34—धारा 31 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी जांच के प्रयोजन के लिये, यथास्थिति, बोर्ड या समिति पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त अधिनियम पर धारा 5, 8 से 10, 14 से 16, 19 तथा 20 के उपबन्ध, यथासंभव ऐसी प्रत्येक जांच तथा अपील पर लागू होंगे ।

जाँच तथा अपीलों में प्रक्रिया

35—(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष और समय-समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत दिनांक को या उसके पूर्व सरकारी गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो बोर्ड विहित करे, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट नामों की पूर्ण या अनुपूरक सूची प्रकाशित करायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी हुई होंगी —

वैद्यों तथा हकीमों के रजिस्टर में प्रविष्ट नामों का प्रकाशन

(क) रजिस्टर में प्रविष्ट समस्त नाम जो वर्णक्रमानुसार होंगे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट हो, रजिस्ट्रीकृत पता और उसकी नियुक्ति या उसका वास्तविक सेवायोजन ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत पदवियां तथा अर्हताएं ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों के नाम समय-समय पर सरकारी गजट में प्रकाशित करायेगा जिनके नाम इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन यथाविधि हटा दिये गये हों ।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारण की जायगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट न हो, रजिस्ट्रीकृत, चिकित्सा व्यवसायी नहीं है ।

1[* * * *]

2[36- बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात् —

(1) राज्य सरकार को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित विषयों के बारे में, जिनके अन्तर्गत शोध और स्नातकोत्तर शिक्षा भी है, सलाह देना ;]

3[(2) अनुचिकित्सीय पाठ्य-क्रम में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को संकाय की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करना, उनकी मान्यता निलम्बित करना या वापस लेना ;]

(3) संकाय द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना ;

4[(4) बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना; निर्धारित फीस उद्ग्रहीत करना ;]

(5) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये विनियमों में निर्धारित फीस उद्ग्रहीत करना ;

(6) संकाय को उसके कर्तव्यों के सम्पादन के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करना ;

5[(7) आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म के विकास के लिये ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों ;]

(8) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट की जायें ।

6[(9) * * * *]

36-क- (1) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्यापन तथा परीक्षण निकाय के रूप में अपने कर्तव्यों और कृत्यों का उचित रूप से निर्वहन करने के लिये बोर्ड, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों की एक संकाय नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे ;

(1) बोर्ड का अध्यक्ष जो संकाय का पदेन अध्यक्ष होगा ;

बोर्ड की
शक्तियाँ और
कर्तव्य

आयुर्वेदिक
तथा यूनानी
तिब्बी
चिकित्सा
पद्धतियों की
संकाय

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 18 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाला गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

6. उपर्युक्त की धारा 5 (घ) द्वारा निकाला गया ।

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (3), (4) तथा (5) के अधीन बोर्ड के निर्वाचित सदस्य जो संकाय के पदेन सदस्य होंगे ;

(3) एक सदस्य जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायगा ; और

¹[(4) निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश ।]

(2) संकाय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन या उसकी अपेक्षा पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये दो से अनधिक सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी ।

(3) संकाय अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी ।

²[(4) उपधारा (1) के खण्ड (3) में निर्दिष्ट सदस्य बोर्ड का सदस्य न रह जाने पर संकाय का सदस्य न रह जायगा ।]

36-ख- [(1)]³ संकाय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे —

**संकाय की
शक्तियाँ और
कर्तव्य**

⁴[(क) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण देने के लिये आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन का पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षाएँ लेना जिन्होंने बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण केन्द्र में पाठ्यक्रम पूरा किया हो ;

(ग) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर किये गये आवासिक तथा अनुशासनिक प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके छात्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना ;]

(घ) परीक्षकों को नियुक्त करना ;

⁵[(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कराना ; और

(च) प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने के लिये बोर्ड से सिफारिशें करना ।]

⁶[(छ) * * * *]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 6 द्वारा धारा 36 (ख) की उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्याकित ।

4. उपर्युक्त की धारा 6 (क) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1975 की धारा 6-क (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

6. उपर्युक्त की धारा 6-क (3) द्वारा निकाला गया ।

¹[(2) रजिस्ट्रार संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।]

²[36-ग-(1) धारा 36-ख में निर्दिष्ट किसी विषय पर संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद होने की दशा में बोर्ड उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

संकाय तथा
बोर्ड के बीच
मतभेद

37-इस अधिनियम के उपबन्धों तथा ³[राज्य सरकार] द्वारा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड निम्नलिखित विषयों को विनियमित करने के लिये, ⁴[पूर्व प्रकाशन के पश्चात्] विनियम बना सकेगा, अर्थात् : —

विनियम
बनाना

⁵ [(1) (क) वे शर्तें जिन पर संस्थाओं को धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्रदान की जा सकेगी ;

(ख) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेशित किये जायेंगे तथा ऐसे डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र दिये जाने के पात्र होंगे ;

(घ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के आवास को शर्तें और ऐसे आवास के लिये फीस उद्गृहीत करना ;

(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उपलब्धियां ;

(च) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रमों के लिये तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश करने तथा डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र के प्रदत्त करने के लिये ली जाने वाली फीस ; और

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग और उनके कर्तव्य तथा परीक्षा का संचालन ;

प्रतिबन्ध यह है कि विनियम बनाते समय बोर्ड सामान्यतया प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय तथा अन्य विद्यमान दशाओं का ध्यान रखेगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) से (छ) तक के किसी भी उपखण्ड के अधीन कोई विनियम, उस सिफारिश पर ही बनाया जायेगा जो संकाय द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जिसे विहित किया जाय, अन्यथा नहीं ।]

(2) (क) वह समय और स्थान जब और जहां बैठकों की जायेंगी ;

(ख) ऐसी बैठकों को बुलाने के लिये नोटिसों का जारी किया जाना ;

(ग) उनमें कार्य संचालन ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 6 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

2. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 21 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) रजिस्ट्रार को छोड़कर बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ङ) अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ;

(3) ऐसे समस्त विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ¹[और वे तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न कर दी जाय ;]

(4) ²[राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी विनियम को ³[रद्द या उपान्तरित] कर सकेगी ।

38—इस अधिनियम के अधीन वैद्यों और हकीमों के रजिस्ट्रीकरण तथा बोर्ड की परीक्षाओं ⁴[* * *] में प्रवेश के संबंध में बोर्ड द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण फीस बोर्ड के नाम जमा की जायगी, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियमों के अनुसार उपयोग में लायी जायगी ।

फीसों का
व्ययन

39—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी —

(1) ⁵[उत्तर प्रदेश] में प्रवृत्त समस्त अधिनियमों में तथा ⁵[उत्तर प्रदेश] में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समस्त ⁶[केन्द्रीय अधिनियमों] में, वहां तक जहाँ तक कि ऐसे अधिनियमों का संबंध ⁷[संविधान] की सप्तम अनुसूची में सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से हो, पद "वैद्य रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी" या "यथाविधि अर्ह चिकित्सा व्यवसायी" के अथवा किसी ऐसे शब्द के, जिसका यह आशय हो कि कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा वृत्ति के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्यताप्राप्त है, बारे में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी भी है ।

अर्ह
चिकित्सा
व्यवसायियों
के
प्रमाण—पत्र

(2) किसी विधि के या विधि का बल रखने वाले किसी नियम के अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारों से अपेक्षित कोई प्रमाण—पत्र वैध होगा, यदि ऐसा प्रमाण—पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रदान किया गया हो ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय, चिकित्सालय, रुग्णावास या प्रसवाश्रय में जो ⁸[राज्य सरकार] द्वारा घोषित हो या उससे अनुदान पा रहा हो या किसी ऐसे सार्वजनिक अधिष्ठान, निकाय या संस्था में जिसमें ऐसी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा होती हो, चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी इस बात का हकदार होगा कि वह —

(क) जन्म या मृत्यु संबंधी किसी ऐसे प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर करे या उसे अधिप्रमाणित करे जिस पर किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो यथाविधि अर्ह हो, हस्ताक्षर किया जाना या उसे अधिप्रमाणित किया जाना किसी विधि या नियम द्वारा अपेक्षित हो ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 21 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 21 (4) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 22 द्वारा निकाला गया ।

5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविसेंज) के लिये प्रतिस्थापित ।

6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (ऐक्ट्स आफ दि सेंट्रल लेजिस्लेचर) के लिये प्रतिस्थापित ।

7. उपर्युक्त द्वारा (गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935) के लिये प्रतिस्थापित ।

8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

(ख) किसी ऐसे चिकित्सा या शारीरिक स्वस्थता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करे या उसे अधिप्रमाणित करें जिस पर किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो यथाविधि अर्ह हो, हस्ताक्षर किया जाना या उसे अधिप्रमाणित किया जाना किसी विधि या नियम द्वारा अपेक्षित हो ;

(ग) किसी मृत्यु समीक्षा में, या किसी न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में, चिकित्सा, शल्य कर्म या धात्री कर्म से संबंधित किसी विषय पर साक्ष्य दे ।

¹[(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 48 सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हता रखने वाले आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक पात्र होंगे जहाँ तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं ।]

[40—राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के सिवाय किसी ऐसे वैद्य या हकीम से जो बोर्ड से सम्बद्ध किसी संस्था से अर्हता प्राप्त हो या जिसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त, आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा-पद्धति में उपाधि हो और जो इस राज्य का अधिवासित निवासी हो, भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, रुग्णावास, औषधालय या प्रसवाश्रय में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या उसके नियंत्रणाधीन हो, किसी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये सक्षम न होगा :

कतिपय
नियुक्तियों
का वैद्यों और
हकीमों के
लिये आरक्षण

²[प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वैद्य तथा हकीम जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को राज्य-सरकार या ऊपर निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी के सेवायोजन में हों, उक्त पदों पर बने रहेंगे।]

41—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, यदि वह ऐसा चाहे, किसी मृत्यु समीक्षा में कार्य करने या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन जूरी सदस्य या असेसर का कार्य करने से छूट होगी ।

मृत्यु समीक्षा में
कार्य करने से
छूट

(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकों को संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
3, 1917
संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
4, 1910

42—(1) ³[राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम से संगत नियम, समय-समय पर बना सकेगी ।

नियम

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ³[राज्य सरकार] निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय के संबंध में नियम बना सकेगी;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 2015 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्सियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

(क) यह समय, जब और वह स्थान जहाँ तथा वह रीति जिससे धारा 5 के अधीन निर्वाचन किये जायेंगे ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों का विनियमन ;

(ग) बोर्ड की बैठकों का संचालन और उनका सही-सही कार्यवृत्त रखा जाना ;

(घ) वह रीति जिससे धारा 13 के अधीन रिक्तियां भरी जायेंगी ;

(ङ) रजिस्ट्रार का वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) वैद्यों और हकीमों के उस रजिस्टर का प्रपत्र जो इस अधिनियम के अधीन रखा जायगा तथा अर्हताओं के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों का दो अथवा दो से अधिक वर्गों में वर्गीकरण ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीसें तथा उनका उपयोग में लाया जाना ;

(ज) वह रीति जिससे रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध की गयी अपीलों की धारा 27 के अधीन बोर्ड द्वारा सुनवाई की जायेगी ;

(झ) बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष को देय व्यय ;

(ञ) अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ;

(ट) अध्यापन तथा परीक्षण निकाय के रूप में बोर्ड के किन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ;

(ठ) परिषद् के किन्हीं अन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ।

(3) ऐसे समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

43—(1) अपील प्राधिकारी के रूप में बोर्ड द्वारा दिये गये विनिश्चय के सिवाय इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा दिये गये प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध ¹[राज्य सरकार] को अपील की जा सकेगी ।

बोर्ड के
विनिश्चय के
विरुद्ध राज्य
सरकार को
अपील

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीन मास के भीतर की जायेगी ।

44—(1) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य के संबंध में ¹[राज्य सरकार] के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

वाद तथा
अन्य विधिक
कार्य बहियों
का वर्जन

(2) इस अधिनियम के अधीन वैध रूप से और सद्भावपूर्वक तथा समुचित सावधानी से और ध्यानपूर्वक किये गये किसी भी कार्य के संबंध में बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या सेवक के या बोर्ड या उसके अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

45—किसी ऐसी कार्यवाही, रसीद, आवेदन, नक्शे, नोटिस, आदेश, रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज की, जो बोर्ड के कब्जे में हो, प्रतिलिपि, यदि वह रजिस्ट्रार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा, यथाविधि प्रमाणित हो, ऐसी

बोर्ड के
अभिलेखों के
सबूत का
ढंग

1. एडेप्शन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

प्रविष्टि या दस्तावेज के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी, और ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के और उसमें अभिलिखित विषयों के साक्ष्य के रूप में ऐसे प्रत्येक वाद में उस सीमा तक ग्रहण की जायेगी जिसमें और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, उस दशा में जब उसे पेश किया जाता, ऐसे विषयों को साबित करने के लिये ग्राह्य होती ।

46—किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें बोर्ड पक्षकार न हो, बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी या सेवक से किसी रजिस्टर या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित विषयों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि विशेष कारणों से न्यायालय द्वारा ऐसा करने का आदेश न दिया गया हो ।

बोर्ड के प्रेषकों को दस्तावेज पेश करने के लिये बुलाने पर निर्बन्धन

47—यदि किसी समय ¹[राज्य सरकार] को वह प्रतीत हो कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने उसका अतिलंघन अथवा दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा है तो ¹[राज्य सरकार] यदि ऐसी असफलता, अतिलंघन या दुरुपयोग को गंभीर प्रकार का समझे तो वह उनकी विशिष्टियां बोर्ड को अधिसूचित कर सकेगी ; और यदि बोर्ड उतने समय के भीतर जो [राज्य सरकार]¹ इस निमित्त नियत करे, ऐसे व्यक्ति क्रम, अतिलंघन या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहे तो ¹[राज्य सरकार] बोर्ड को विघटित कर सकेगी और बोर्ड को समस्त या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिये करा सकेगी, जिसे वह उचित समझे :

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड पर नियंत्रण

प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नया बोर्ड संघटित करने के लिये छः मास के भीतर कार्यवाही करेगी ।

48—(1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का न तो संज्ञान करेगा, न उसका विचारण करेगा ।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये सक्षम न्यायालय तथा अपराधों का संज्ञान

भाग—3

49—¹[राज्य सरकार] भाग 1 तथा 2 के प्रवृत्त होने के दिनांक से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के या उसके किसी अंश के उपबन्धों को सम्पूर्ण ²[राज्य] में या उसके किसी भाग में, ऐसे दिनांक से लागू कर सकेगी जो उसमें अधिसूचित किया जाए :

भाग 3 के उपबन्धों को प्रवृत्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि ¹[राज्य सरकार] उस अधिसूचना का ऐसी अन्य रीति से भी जिसे वह उचित समझे, व्यापक प्रचार करेगी ।

50—(1) रजिस्ट्रार धारा 49 में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् उस दिनांक को जो उस अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये, एक सूची तैयार करेगा और रखेगा, जो "देशी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की सूची" कहलायेगी ।

चिकित्सा व्यवसायियों की सूची

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

2. उपर्युक्त द्वारा प्राविन्स के लिये प्रतिस्थापित ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्ह व्यक्ति न हो, इस भाग के प्रवृत्त होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित दिनांक को इस ¹[राज्य] में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी पद्धतियों की चिकित्सा या शल्य कर्म या धात्री कर्म का या उनकी शाखाओं में से किसी शाखा का नियमित रूप से चिकित्सा व्यवसाय करता रहा है, पांच रुपये का भुगतान करके पूर्वोक्त सूची में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगा ।

(3) धारा 26 की उपधारा (2) तथा (4), धारा 27 की उपधारा (2), (3) तथा (4) और धारा 31 की उपधारा (1) के उपबन्ध यथाशक्य, इस सूची के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

51—इस अधिनियम के भाग 2 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम धारा 50 में उल्लिखित सूची में प्रविष्ट हो, भिन्न कोई व्यक्ति ²[आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] से चिकित्सा, शल्य कर्म या धात्री कर्म का न तो व्यवसाय करेगा, न प्रत्यक्ष अथवा विवक्षित तौर पर यह प्रकट करेगा कि वह ऐसा व्यवसाय कर रहा है या करने के लिये तैयार है :

उन व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय किये जाने का प्रतिषेध जिनके नाम सूची में हों

प्रतिबन्ध यह है कि ³[राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध किसी वर्ग के व्यक्ति पर या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में लागू नहीं होंगे ।

52—कोई व्यक्ति, जो धारा 51 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, प्रत्येक अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

शास्ति

53—⁴[* * * *]

54—⁵[* * * *]

55—(1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत किसी संगम या संस्था से भिन्न कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण—पत्र या अन्य दस्तावेज, जिसमें यह लिखा हो या जिससे यह विवक्षित होता हो कि उसका धारक, गृहीता या प्राप्तिकर्ता ¹[आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति] [में अर्ह है या अन्यथा उसके अनुसार चिकित्सा करने का हकदार है,]⁶ न तो प्रदत्त करेगा, न अनुदत्त करेगा न देगा, न यह प्रकट करेगा कि वह उसे प्रदत्त करने, अनुदत्त करने या देने का हकदार है ।

अप्राधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा, लाइसेंस आदि का प्रदत्त किया जाना, अनुदत्त किया जाना या दिया जाना

(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्ध होने पर, ⁷[कारावास से, जो छः मास से अधिक का न होगा, जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से] दण्डनीय होगा, और यदि इस प्रकार उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संगम हो तो ऐसे संगम का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुए और जानबूझकर ऐसे

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII, 1956 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII, 1956 की धारा 23 द्वारा धारा 53 निकाला गया ।

5. उपर्युक्त की धारा 24 द्वारा निकाला गया ।

6. उपर्युक्त की धारा 25(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

7. उपर्युक्त की धारा 25 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वह दोष सिद्ध होने पर ¹[कारावास से, जो तीन मास से, अधिक का न होगा या जुर्माने से, जो दो सौ रूपए तक हो सकेगा या दोनों से] दण्डनीय होगा ।

56—कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से और मिथ्यापूर्वक कोई ऐसी पदवी या विवरण या अपने नाम के साथ कोई ऐसा परिवर्धन ग्रहण करेगा या उसका उपयोग करेगा जिससे यह प्रकट होता हो कि वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत किसी संगम या संस्था द्वारा प्रदत्त की गई, अनुदत्त की गई या दी गई कोई उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेंस या प्रमाण-पत्र धारण करता है या वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अर्ह है, वह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो इस धारा के अधीन प्रथम अपराध के लिये पचास रूपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिये दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

नकली
उपाधि,
डिप्लोमा या
प्रमाण-पत्र
का ग्रहण
करना अपराध
होगा

अनुसूची

[धारा 27, 28, 29 और 30 देखिये]

वैद्यों और हकीमों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के हकदार व्यक्ति —

1— ऐसे वैद्य और हकीम, जो ²[उत्तर प्रदेश] के भीतर या उसके बाहर के किसी राजकीय आयुर्वेदिक या यूनानी महविद्यालय अथवा विद्यालय की उपाधि या प्रमाण-पत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति या शल्य कर्म या धात्री कर्म की उपाधि धारण करते हों ।

2— ³[ऐसे वैद्य और हकीम जो बोर्ड द्वारा अनुदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा धारण करते हों ।]

3— ऐसे वैद्य और हकीम, जो ²[उत्तर प्रदेश] की या उसके बाहर की किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी संस्था से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों जो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

4[* * * *]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII, 1956 की धारा 25 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1956 की धारा 26 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उपर्युक्त की धारा 26 (ख) द्वारा निकाला गया ।